न्यायाधीश *जॉर्ज मसीह के समक्ष*,

डॉ. बलबीर चंद जोसन, - *याचिकाकर्ता*

बनाम

चंडीगढ़ प्रशासन, यूटी, चंडीगढ़ और अन्य, - *प्रतिवादी*

सीडब्ल्यूपी एनओ 2010 की 11022

14 जुलाई, 2011

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 19 (1) (सी), 226 और 227- पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947- अध्याय III और धारा 31 (2) (ई) के संबंध में 4.2- पंजाब अनुदान सहायता नियम, 1979- पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर वॉल्यूम- 1 (2007) - अध्याय VIII (ए) और (ई) के संबंध में 1.2 (ए), 9.2 - पंजाब संबद्ध कॉलेज (कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1974- एस 7- ए- रजिस्ट्रार द्वारा पारित गैर-बोलने वाला आदेश- रजिस्ट्रार के पास समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है- रजिस्ट्रार की नियुक्ति और कर्तव्य की शक्तियां शासी निकाय - आरोप पत्र जारी किया गया - निलंबन आदेश पारित किया गया।

माना जाता है, रजिस्ट्रार का वह आदेश कानून के अनुसार नहीं है और इस प्रकार न्यायालय की जांच का सामना नहीं कर सकता है। परिणामी शक्तियां निराश होंगी यदि न्यायालय का कार्य अन्याय को कायम रखता है।

(पैरा 16)

आगे कहा गया कि किसी प्राधिकारी द्वारा आदेश की वैधता को कारणों से आंका जाना चाहिए और सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेश सार्वजनिक प्रभाव के लिए होते हैं और आदेश में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में निष्पक्ष रूप से लगाए जाने चाहिए।

(पैरा 34)

इसके अलावा, लागू अधिनियम, नियम/विनियम निदेशक द्वारा प्रयोग की गई शक्ति और अधिकार प्रदान करते हैं। याचिकाकर्ता ने विनियमन 9.2 के तहत राहत का दावा करते हुए रजिस्ट्रार को नए आवेदन को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता दी। पक्षकारों को 2 माह के भीतर विभागीय कार्यवाही को अंतिम रूप देने का निर्देश।

(35 और 37 के लिए (ii))

इसके अलावा, न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय न्याय करने के लिए अनिवार्य है और विवादों पर निर्णय देते समय न केवल निर्णय सुनाने की आवश्यकता होती है, बल्कि मामले को हल करने और निष्कर्ष निकालने का प्रयास भी करता है, ताकि पूर्ण न्याय किया जा सके। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामला अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचे और अनिश्चितता की कोई गुंजाइश न रहे और यह सुनिश्चित करे कि न्याय स्वयं आकस्मिक न हो।

(पैरा 38)

अक्षय भान, अधिवक्ता, सीडब्ल्यूपी एनओ 16917 और 11022 में 2010 के याचिकाकर्ता के लिए और 2010 के सी डब्ल्यूपी नंबर 17347 में प्रतिवादी नंबर 2 के लिए।

राजीव आत्मा राम, सीनियर एडवोकेट सौरभ अरोड़ा, एडवोकेट, 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 17347 में याचिकाकर्ता के लिए और 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 16717 में प्रतिवादी नंबर 3 के लिए और 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 11022 में प्रतिवादी नंबर 3 और 4 के लिए।

अमर विवेक, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए स्थायी वकील।

अनुपम गुप्ता, अधिवक्ता, 2010 की सीडब्ल्यूपी संख्या 11022 और 16917 में प्रतिवादी नंबर 2 के लिए और 2010 की सीडब्ल्यूपी संख्या 17347 में प्रतिवादी नंबर 3 के लिए।

न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह,

(एक) यह आदेश 2010 के सीडब्ल्यूपी संख्या 11022, 16917 और 17347 को कवर करेगा।

(दो) इन मामलों में तथ्य आपस में जुड़े हुए हैं और इसलिए, एक क्रम में वर्णित हैं क्योंकि घटनाओं ने इन तीन रिट याचिकाओं को दायर करने के लिए अग्रणी किया है, जिनमें से पहली दो रिट याचिकाएं यानी सीडब्ल्यूपी एनओ 2010 के 11022 और 16917 को डॉ बलबीर चंद जोसन, प्रिंसिपल, डीएवी कॉलेज, सेक्टर 10, चाडीगढ़ और 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 17347 एफआई द्वारा डीएवी कर्नल लेग सेक्टर 10, चंडीगढ़ (इसके बाद शासी निकाय के रूप में संदर्भित) के शासी निकाय के नेतृत्व में पसंद किया गया है।

(तीन) डॉ. जोसन को डीएवी कॉलेज सेक्टर 10, चंडीगढ़ के प्रिंसिपल के रूप

में नियुक्त किया गया था। दिनांक 1 अप्ैल, 2008 के पत्र द्वारा यह निर्णय संसूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता का चयन डीएवी कॉलेज, सेक्टर 10 के प्रधानाचार्य के रूप में किया गया है। इसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने 2 अप्रैल, 2008 को कार्यभार ग्रहण किया। तत्पश्चात्, शासी निकाय द्वारा 1 जुलाई, 2008 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने 19 मई, 2010 के संकल्प तक प्रिंसिपल के रूप में काम करना जारी रखा को शासी निकाय द्वारा उनके स्थानांतरण का आदेश दिया गया था। शासी निकाय के इस निर्णय को याचिकाकर्ता ने विभिन्न आधारों पर 2010 के सीडब्ल्यूपी संख्या 11022 के माध्यम से लागू किया था। 18 जून, 2010 को, इस न्यायालय ने प्रस्ताव का नोटिस जारी करते हुए 19 मई, 2010 के आक्षेपित संकल्प के संचालन पर रोक लगा दी। उत्तरदाताओं द्वारा जवाब दायर किए जाते हैं। अंतरिम आदेश का संचालन जारी है।

(चार) रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, शासी निकाय ने 14 सितम्बर, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का संकल्प पारित किया क्योंकि उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा था। निर्णय के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 15 सितम्बर, 2010 का आदेश दिया गया था। डा जोसन ने रजिस्ट्रार के समक्ष दिनांक 16 सितम्बर, 2010 को एक आवेदन प्रस्तुत किया। पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ने शासी निकाय द्वारा पारित निलंबन के आदेश पर इस आधार पर रोक लगाने का अनुरोध किया है कि शासी निकाय ने पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड-I (2007) के अध्याय VIII (ई) के विनियम 9.2 के तहत अपेक्षित आरोप पत्र के साथ रजिस्ट्रार को निलंबन आदेश नहीं भेजा है और उन्हें आज तक शासी निकाय द्वारा आरोप-पत्र की प्रति नहीं दी गई है और यह भी कि उनके पास सीडब्ल्यूपीएनओ दायर किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2010 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 11022 में रिट याचिका (सिविल) संख्या 11022 में रिट याचिका दायर की है जिसमें उनके स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई थी और मामला इस न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, रजिस्ट्रार ने विनियम 92 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासी निकाय द्वारा पारित निलंबन के आदेश पर 16 सितम्बर, 2010 को अगले आदेशों तक रोक लगा दी। इसके बाद, 17 सितंबर, 2010 को, रजिस्ट्रार ने पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम 1947 (इसके बाद 1947 अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अध्याय III के विनियमन 4.2 और धारा 31 (2) (ई) के मद्देनजर 16 सितंबर, 2010 के आदेश को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया। इस आदेश को डॉ. जोसन ने 2010 की सीडब्ल्यूपी संख्या 16917 दायर करके चुनौती दी है, जिसमें इस न्यायालय ने 22 सितंबर के आदेश *के माध्यम से* चुनौती दी है । 2010. डॉ. जोसन को डीएवी कॉलेज, सेक्टर 10, चंडीगढ़ के प्रिंसिपल के रूप में कार्य करना जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन कॉलेज के कामकाज के संबंध में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। जोसन ने अदालत के समक्ष एक बयान दिया कि वह कॉलेज की ओर से कोई वित्तीय लेनदेन नहीं करेगा और

मौजूदा वित्तीय व्यवस्था को जारी रखने की अनुमति देगा। यह अंतरिम आदेश आज तक जारी है।

(पाँच) 17 सितंबर, 2010 के आदेश को चुनौती रजिस्ट्रार, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ द्वारा पारित इस आधार पर है कि यह आदेश एक गैर-बोलने वाला आदेश है। निलंबन के आदेश पर रोक लगाने के लिए इस विनियम के तहत आदेश पारित होने के बाद रजिस्ट्रार के पास विनियमन 9.2 के तहत एक प्राधिकरण नहीं है। रजिस्ट्रार के पास समीक्षा का कोई अधिकार नहीं है। आदेश दिनांक 16 सितंबर 2010 रजिस्ट्रार द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर वॉल्यूम -1 (2007) के अध्याय VIII (E) के तहत विनियमन 9.2 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था, जो अध्याय गैर-सरकारी संबद्ध कॉलेजों में शिक्षकों की सेवा की शर्तों और आचरण से संबंधित है, जबकि अध्याय 111 रजिस्ट्रार और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और कर्तव्यों और 17 सितंबर 2010 के आदेश से संबंधित है। को इस अध्याय III के विनियम 4.2 के तहत पारित किया गया है। ये दो अध्याय अलग-अलग हैं, रजिस्ट्रार को अलग-अलग शक्तियां प्रदान करते हैं, जहां अधिकार क्षेत्र में शक्तियों का संचालन और क्षेत्र अलग-अलग हैं, इसलिए, आदेश अवैध है। डॉ जोसन द्वारा तथ्यों का कोई गलत बयान नहीं दिया गया है जो समीक्षा की शक्ति के प्रयोग की मांग करेगा जो हालांकि संविधि/विनियमों के तहत उपलब्ध नहीं है, लेकिन 17 सितंबर 2010 के आदेश को पारित करने को सही ठहरा सकता है।

(छः) जब सीडब्ल्यूपी एनओ 16917, 2010 की रिट याचिका (सिविल) पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22 सितम्बर, 2010 को विचार किया गया। चंडीगढ़ प्रशासन के वकील ने 20 सितंबर, 2010 के पत्र की एक फोटोकॉपी पेश की, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा सचिव के रजिस्ट्रार (शिक्षा) (सी) द्वारा संबोधित किया गया था, जिसमें शासी निकाय डीएवी कॉलेज के सामान्य सचिव को सूचित किया गया था। सेक्टर 10, चंडीगढ़ कि निर्णय दिनांक 15 सितंबर, 2010 के मद्देनजर 26 नवंबर, 1999 के आदेश पैरा नंबर 3 अमान्य है। 1999 शिक्षा सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन के कार्यालय द्वारा पारित किया गया था क्योंकि उसने निदेशक को संबद्ध किए बिना लिया था। उच्च शिक्षा। यू.टी. चंडीगढ़ (इसके बाद निदेशक के रूप में संदर्भित)।

(सात) दिनांक 20 सितम्बर 2010 का उक्त पत्र प्राप्त होने पर 2010 की सीडब्ल्यूपी संख्या 17347 को शासी निकाय द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि 26 नवंबर 1999 के पत्र की शर्त/पैरा संख्या 3 में केवल निदेशक के नामिती और कुलपति के विश्वविद्यालय चंडीगढ़ नामिती को गवर्निंग बॉडी की हर बैठक में आमंत्रित करने की बात कही गई है। । यदि कोई निमंत्रण नहीं भेजा जाता है, तो शासी निकाय द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को निदेशक द्वारा वैध नहीं माना जा सकता है। यह किया गया है अनुरोध किया

कि 10 सितम्बर, 2010 का पत्र निदेशक को भेजा गया था जिसमें उनसे बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया गया था जो 14 सितम्बर 2010 के लिए निर्धारित की गई थी। उक्त पत्र निदेशक द्वारा विधिवत प्राप्त किया गया था *और, दिनांक 13 सितंबर, 2010 के संचार के माध्यम से* निदेशक ने पूर्व निर्धारित आधिकारिक कार्यों के कारण बैठक में भाग लेने में असमर्थता दिखाई और कहा कि प्रबंध समिति की बैठक निर्धारित करने से पहले कम से कम दो सप्ताह का नोटिस दिया जा सकता है। कुलपति के नामिती को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था और उन्होंने 14 सितम्बर, 2010 को बैठक में भाग लिया था जबकि निदेशक ने न तो बैठक में भाग लेने का निर्णय लिया और न ही बैठक में अपना नामिती भेजा और न ही बैठक के पुनर्निर्धारण के लिए कोई अनुरोध किया गया। यह भी दलील दी गई है कि पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड -1 (2007) के अध्याय आठवीं (ए) के प्रावधानों के अनुसार, कुलपति के नामित व्यक्ति या निदेशक के नामित व्यक्ति के लिए प्रबंधन समिति/शासी निकाय के सदस्य होने या उन्हें हर बैठक के लिए सूचीबद्ध करने के लिए क़ानून या कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक शासी निकाय की बैठक में निदेशक या उनके नामिती की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और किसी भी मामले में, नामित व्यक्ति किसी भी अन्य सदस्य की तरह शासी निकाय के सदस्य होते हैं जिनके पास कोई अतिरिक्त विशेषाधिकार या अधिकार नहीं होता है और निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाते हैं।

(आठ) इस मामले में प्रस्ताव की सूचना पर, निदेशक द्वारा जवाब दायर किया गया है जिसमें कथित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के स्थान पर सवाल उठाकर रिट याचिका की विचारणीयता के संबंध में आपत्ति उठाई गई है, जिसने वर्तमान रिट याचिका शुरू की थी। यह उल्लेख किया गया है कि श्रीमती मधु बहल नामक व्यक्ति ने दिनांक 23 सितम्बर, 2010 के कथित प्राधिकार पत्र के आदेश पर शासी निकाय द्वारा पारित एक संकल्प के अनुसरण में रिट याचिका दायर की है। प्राधिकरण पत्र शासी निकाय के महासचिव द्वारा जारी किया गया है, जिन्हें शासी निकाय की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, जो कानून के तहत अपनी शक्तियों को आगे नहीं सौंप सकते हैं और इस प्रकार, श्रीमती मधु बहल के पक्ष में कोई प्राधिकरण जारी करने के लिए सक्षम नहीं हैं। इसके अलावा, 14 सितंबर, 2010 की शासी निकाय की बैठक में पारित संकल्प संख्या 5 के अनुसार, शासी निकाय ने अगले आदेशों तक अपने अध्यक्ष / सचिव को अपनी सभी शक्तियां प्रदान की हैं, जो स्वीकार्य या कानूनी नहीं है, जिससे पंजाब विश्वविद्यालय के नामांकित व्यक्तियों के साथ-साथ निदेशक के अधिकार और शक्तियां भी समाप्त हो जाती हैं। यह कहा गया है कि दिनांक 10 सितम्बर, 2010 के नोटिस में ऐसी कोई कार्यसूची शामिल नहीं थी जिसके द्वारा शासी निकाय की अध्यक्ष/महासचिव जैसे एकल व्यक्ति में प्रत्यायोजित होना। दिनांक 20 सितम्बर, 2010 के पत्र का समर्थन इस आधार पर करने की मांग की गई है कि दिनांक 1 सितम्बर, 2010 के नोटिस में केवल यह उल्लेख किया गया था कि डीएवी कॉलेज के

प्रधानाचार्य बलबीर चंद जोसन के मामले पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। सेक्टर 10, चंडीगढ़। चूंकि बैठक एक आकस्मिक बैठक थी, शासी निकाय अनुशासनात्मक कार्रवाई, निलंबन, आरोप पत्र जारी करने और शासी निकाय की शक्तियों को एक ही व्यक्ति में निहित करने के मुद्दे पर पूर्व एजेंडा के बिना चर्चा नहीं कर सका और जवाब देने वाले प्रतिवादी और पंजाब विश्वविद्यालय को इसका उचित प्रसार नहीं हुआ। शासी निकाय के निर्णय से अवगत कराया गया - दिनांक 15 सितंबर 2010 के आदेश के तहत। जो निदेशक को संबद्ध किए बिना लिया गया था, 26 नवंबर, 1999 के पत्र की एक्सप्रेस शर्त/पैरा नंबर 3 के मद्देनजर अमान्य था। इसके बाद जवाब देने वाले प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को 15 दिनों का उचित नोटिस देकर शासी निकाय की बैठक फिर से बुलाने की सलाह दी। शासी निकाय की इस कार्रवाई से, निदेशक और पंजाब विश्वविद्यालय निर्णय के अनुसार अगले आदेशों तक शासी निकाय के कामकाज से पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं। यह पंजाब सहायता अनुदान नियमों की भावना के विपरीत है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका 1979 (जिसे इसके पश्चात् सहायता अनुदान नियम कहा है) के संबंध में रिट याचिका को खारिज करने की मांग की गई है।

(नौ) सुनवाई के दौरान, श्री राजीव आत्मा राम, विद्वान वरिष्ठ वकील। शासी निकाय के लिए उपस्थित होने वाले डीएवी कॉलेज, सेक्टर 10, चंडीगढ़, बताता है कि सीडब्ल्यूपी एनओ 2010 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 11022 में इस न्यायालय द्वारा शासी निकाय के दिनांक 19 मई 2020 के संकल्प पर दिए गए स्थगन को देखते हुए निष्फल बना दिया गया है। जिसके तहत डॉ जोसन को डीएवी कॉलेज, सेक्टर 10, चंडीगढ़ से स्थानांतरित कर दिया गया था और इस तथ्य के आलोक में भी कि शासी निकाय ने उन्हें चंडीगढ़ में अपने मुख्यालय के साथ निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया है, जो निर्णय दिया गया था, *15 सितंबर 2010 के आदेश के तहत* सीडब्ल्यूपीएनओ में 2010 के 16917 डॉ. जोसन द्वारा चुनौती दी गई है। । स्थानांतरण के आदेश को निरर्थक बनाना शासी निकाय के वकील के इस बयान पर जोसन के लिए विद्वान वकील श्री अक्षय भान द्वारा विवाद नहीं किया जा सकता था। तदनुसार, रिट याचिका को निष्फल घोषित किए जाने के कारण निपटाया जाना अपेक्षित है।

(दस) सीडब्ल्यूपी एनओ का निर्णय लेना माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2010 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 16917 में दिनांक 2010 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 16917 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है जिसमें रजिस्ट्रार, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 16 सितम्बर के अपने पूर्व आदेश को ध्यान में रखते हुए पारित दिनांक 17 सितम्बर, 2010 के आदेश को चुनौती दी गई है।

जिन प्रावधानों के तहत दिनांक 16 सितम्बर, 2010 के आदेश जारी किए गए हैं, अगले आदेशों तक के लिए आस्थगित कर दिया गया है। यानी विनियमन 9 और 17 सितंबर, 2010 यानी विनियमन 4.2 को रजिस्ट्रार, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पारित किया गया है, जिसे देखने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है: -

'• अध्याय VIII (ई)

गैर-सरकारी संबद्ध कॉलेजों में शिक्षकों की सेवा की शर्तें और आचरण।

एक. 8 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX के लिए

एक.एक विनियम संख्या 10,11 और 12 में जो निहित है, उसके अधीन रहते हुए गैर-सरकारी का शासी निकाय। कॉलेज एक स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति का निर्धारण करने का हकदार होगा, पर्याप्त कारण के लिए, उसे लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देने के बाद या उसके बदले में तीन महीने के वेतन के भुगतान पर।

बशर्ते कि शासी निकाय को घोर कदाचार या नैतिक अधमता के मामले में

तत्काल प्रभाव से किसी कर्मचारी को निलंबित करने का अधिकार है। ऐसा करने पर उसे आरोप पत्र दिया जाएगा और उस आधार के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा जिस पर कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है।

एक.दो निलंबन के आदेश की एक प्रति के साथ आरोप-पत्र की एक प्रति एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी जो निर्देश दे सकता है कि शिक्षक को निलंबित नहीं किया जाएगा।

एक.तीन निलंबन की अवधि तीन महीने से अधिक नहीं होगी जिसके भीतर मामले का फैसला किया जाना चाहिए।

"अध्याय I

रजिस्ट्रार और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और कर्तव्य

(एक) 4.1 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX के लिए

(दो) रजिस्ट्रार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और कुलपति और सिंडिकेट और सीनेट के सामान्य नियंत्रण के तत्काल निर्देशन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(ग्यारह) विनियम 9.1 के अवलोकन से संकेत मिलता है कि विनियम 10, 11 और 12 के अधीन एक गैर-सरकारी कॉलेज का शासी निकाय पर्याप्त कारण के लिए एक स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति को समाप्त करने का हकदार है। यह उसे लिखित में तीन महीने का नोटिस देने या उसके बदले तीन महीने के वेतन के भुगतान पर किया जा सकता है। शासी निकाय को यह अधिकार दिया गया है कि यदि कोई कर्मचारी घोर कदाचार या नैतिक अधमता का कार्य करता है तो वह तत्काल प्रभाव से किसी कर्मचारी को निलंबित कर सकता है। जब शासी निकाय द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाती है, तो उसे कर्मचारी पर एक आरोप-पत्र देना होगा, उसे लिखित रूप में सूचित करना होगा कि किन आधारों पर कार्रवाई प्रस्तावित है विनियम 9.2 में यह अधिदेश दिया गया है कि निलंबन के आदेश की एक प्रति के साथ आरोप पत्र की एक प्रति शासी निकाय द्वारा एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी जो यह निर्देश दे सकता है कि शिक्षक को नहीं रखा जाएगा निलंबन के तहत। विनियमन 9.3 निलंबन की अधिकतम अवधि प्रदान करता है यानी 3 महीने * जिसके भीतर मामले का फैसला किया जाना चाहिए।

(बारह) उपर्युक्त विनियमों का एक संयुक्त पठन, ताकि वे सामंजस्यपूर्ण रूप से मिश्रित हों, जब मंथन किया जाता है, तो हमें इस निष्कर्ष पर ले जाएगा कि नियोक्ता का

अपने कर्मचारी को निलंबित करने का अधिकार और वह भी इसकी संतुष्टि के लिए मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसके लिए कुछ योग्यताओं के साथ प्रदान किया गया है। हालांकि शासी निकाय को किसी कर्मचारी को घोर कदाचार या नैतिक अधमता के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का अधिकार है, लेकिन कर्मचारी को आरोप पत्र देना होगा, जिसमें उसे लिखित रूप में बताया जाएगा कि किन आधारों पर कार्रवाई प्रस्तावित है। विनियम 91 का अधिदेश यह नहीं है कि आरोप पत्र निलंबन के आदेश के साथ-साथ तामील किया जाए क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां कार्रवाई में कोई विलंब नहीं हो सकता है और नियोक्ता से तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रबंधन कर सकता है। अपने कर्मचारी को निलंबित करने के बाद, आगे कोई कदम न उठाएं और उस पर सो जाएं। जब विनियमन 9.1 को विनियमन 9.2 के साथ पढ़ा जाता है। अधिदेश आरोप पत्र की तामील करने के लिए होगा, जिसमें उन आधारों को लिखित रूप में प्रकट किया जाएगा जिन पर शासी निकाय द्वारा निलंबन के आदेश के पारित होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है। निलंबन का आदेश पारित करने और आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से एक सप्ताह से अधिक की अवधि नहीं हो सकती क्योंकि विनियमन 9.2 के तहत शासी निकाय को इस अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को आरोप पत्र की एक प्रति के साथ निलंबन आदेश की एक प्रति भेजने के लिए अनिवार्य है। इस विनियमन के तहत रजिस्ट्रार सरकार को यह निदेश देने का अधिकार है कि शिक्षक को निलंबित नहीं किया जाएगा। इसका स्पष्ट रूप से मतलब है कि रजिस्ट्रार निलंबन के आदेश और आरोप-पत्र पर विचार करने पर ऐसा आदेश पारित करेगा। ऐसा आदेश तब भी पारित किया जा सकता है जब कर्मचारी पर निलंबन के आदेश के एक सप्ताह के भीतर आरोप-पत्र की तामील नहीं की जाती है या जहां शासी निकाय निर्धारित समय के भीतर रजिस्ट्रार को आरोप-पत्र की एक प्रति के साथ निलंबन के आदेश की एक प्रति भेजने में विफल रहता है। यह विनियमों के तहत प्रदान किया गया एक सुरक्षा उपाय है जो कर्मचारी को उत्पीड़न और शासी निकाय द्वारा निलंबन की शक्ति के दुरुपयोग से बचाने के लिए कर्मचारी को मामले में आगे की कार्यवाही के बिना निलंबन के तहत रखकर उस पर अनुचित दबाव डालता है। यद्यपि यह विनियम उन आरोपों को विनिदष्ट नहीं करता है जिनके लिए रजिस्ट्रार इस शक्ति का प्रयोग करेगा लेकिन रजिस्ट्रार को यह निर्णय करने की शक्तियां दी गई हैं कि क्या दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में निलंबन का आदेश न्यायोचित है या नहीं और यह भी कि क्या घोर कदाचार या नैतिक अधमता का मामला बनता है या नहीं। हालांकि, रजिस्ट्रार को ऐसा आदेश पारित करने से नहीं रोका जाता है जब निलंबन के आदेश को आरोप-पत्र की एक प्रति के साथ संबंधित कर्मचारी द्वारा उसके ध्यान में लाया जाता है जो इन दो श्रेणियों में नहीं आते हैं। यदि किसी मामले में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है अर्थात निलंबन

के आदेश और/या आरोप-पत्र के अभाव में, रजिस्ट्रार यह निर्देश देने वाला आदेश पारित नहीं कर सकता है कि शिक्षक को निलंबन आदेश पारित करने की तारीख से एक सप्ताह की समाप्ति से पहले निलंबन के तहत नहीं रखा जाएगा। अध्याय VIII (E) के विनियमन 1 (ii) के अनुसार 'शिक्षक' में प्रधानाचार्य शामिल है और इसलिए, यह मामले में लागू होगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विनियम 92 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए अंतिम आदेश पारित करते समय। निलंबन के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रबंधन को सुनवाई का अवसर दिया जाए ताकि नैसगक न्याय के सिद्धांतों का विधिवत अनुपालन किया जा सके। यह अंतिम आदेश शीघ्रता से और उचित समय के भीतर पारित किया जाए।

(तेरह) रजिस्ट्रार पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2010 का आदेश पारित किया गया। उपर्युक्त के आलोक में चंडीगढ़ विनियम 92 के अनुसार नहीं है। निलंबन का आदेश 15 सितम्बर, 2010 को पारित किया गया था और इस प्रकार शासी निकाय के पास डा जोसन को आरोप पत्र की प्रति देने के लिए एक सप्ताह का समय था। इस प्रकार, रजिस्ट्रार 16 सितंबर 2010 के आवेदन पर कार्रवाई नहीं कर सकता था। अध्याय VIII (E) के विनियमन 9.2 के तहत शासी निकाय द्वारा पारित निलंबन के आदेश पर रोक लगा दी गई है। उसे एक सप्ताह की अनिवार्य अवधि के लिए इंतजार करना पड़ा गवर्निंग रोडी ने उन्हें आरोप पत्र के साथ निलंबन का आदेश भेजने के लिए कहा। वह आरोप पत्र के मामले में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ सकता था, जो 18 सितंबर 2010 को डॉ जोसन को दिया गया था। के मामले में रजिस्ट्रार के ध्यान में लाया गया था और उस पर विचार करने पर, यदि वह संतुष्ट था कि आरोप पत्र में उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों ने घोर कदाचार या नैतिक अधमता के कार्य का खुलासा नहीं किया है, तो निलंबन पर रोक लगाने के लिए विनियमन 9.2 के तहत रजिस्ट्रार द्वारा आदेश पारित किया जा सकता था। यह 18 सितंबर 2010 को किया जा सकता था। या उसके बाद लेकिन उससे पहले नहीं। यहां यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि 18 सितम्बर 2010 को डा जोसन को आरोप पत्र दिया गया था। यानी 15 सितंबर 2010 के निलंबन के उनके आदेश के एक सप्ताह के भीतर।

(चौदह) याचिकाकर्ता के वकील का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि रजिस्ट्रार विनियमन 9.2 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के बाद फंक्टस ऑफिशियो बन जाता है। यद्यपि विनियमों के तहत समीक्षा की कोई विशिष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई है, लेकिन इस तथ्य के आलोक में कि एक बार रजिस्ट्रार द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने के बाद, उसके पास अपने आदेश को वापस लेने की शक्ति है और यह शक्ति सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 21 के तहत उसके लिए उपलब्ध है। किसी भी मामले में, 16 सितंबर 2010 का आदेश। केवल एक अंतरिम आदेश था जैसा कि अंतिम

शब्दों से अगले आदेश तक स्पष्ट है और अंतिम आदेश नहीं था जैसा कि डा जोसन द्वारा दावा किया जाना है।

(पंद्रह) शायद अपनी गलती का एहसास करते हुए, रजिस्ट्रार को पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने 17 सितंबर 2010 को एक आदेश पारित किया। लेकिन 1947 के अधिनियम के विनियमन 4.2 अध्याय 111 धारा 31 (2) सी) 2010 के तहत अगले आदेशों तक आस्थगित है। विनियमन 4.2. जैसा कि ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है, यह दर्शाता है कि रजिस्ट्रार कुलपति और सिंडिकेट और सीनेट के सामान्य नियंत्रण के तत्काल निर्देशन में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। रजिस्ट्रार, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ने रिट याचिका का कोई जवाब दाखिल नहीं करने को प्राथमिकता दी है। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि इस संबंध में कुलपति, सिंडिकेट या सीनेट का कोई निर्देश था और इसलिए 17 सितंबर 2010 के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। विनियम 4.2 के तहत रजिस्ट्रार द्वारा पारित को कानून के अनुसार नहीं कहा जा सकता है।

(सोलह) हालांकि आक्षेपित आदेश दिनांक 17th सितंबर 2010 जैसा कि इस रिट याचिका में डॉ जोसन द्वारा चुनौती दी गई है, हालांकि, टिकाऊ नहीं है।

रजिस्ट्रार का आदेश दिनांक 16 सितंबर 2010 भी कानून के अनुसार नहीं है जैसा कि ऊपर आयोजित किया गया है और इसलिए, न्यायालय की जांच का सामना नहीं कर सकता है। किसी मामले का निर्णय करते समय, न्यायालय को केवल चुनौती के तहत आदेश की वैधता को आगे बढ़ाने और तय करने के लिए नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि क्या बाद के आदेश को रद्द करने के बाद जो आदेश लागू होगा, वह कानून में टिकाऊ है या नहीं। एक अवैध आदेश को पवित्रता प्रदान करके, न्यायालय एक अवैध आदेश या एक प्राधिकरण के कार्य पर अनुमोदन की मुहर लगाएगा जो अन्याय को बनाए रखेगा और प्राधिकरण की शक्ति के दुरुपयोग को प्रोत्साहित करेगा। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को दी गई शक्ति न्याय को आगे बढ़ाने के लिए है न कि इसे विफल करने के लिए। ऐसी संवैधानिक शक्तियों का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा यदि न्यायालय का कोई अधिनियम यांत्रिक तरीके से आदेश पारित करके अन्याय को कायम रखता है जो न्याय को किसी मामले का निर्णय करने के नाम पर त्रुटि का उप-उत्पाद प्रदान करेगा। इसलिए इस रिट याचिका में डॉ. जोसन को कोई राहत नहीं दी जा सकती।

(सत्रह) श्री राजीव आत्मा राम ने पंजाब संबद्ध कॉलेज (कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 1974 (इसके बाद 1974 अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7-ए और टीएमए पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य[1] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में इस रिट याचिका की विचारणीयता के संबंध में आपत्ति उठाई थी । शिक्षा न्यायाधिकरण से संपर्क करने के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर, लेकिन इस तथ्य के आलोक में इस पर विचार नहीं किया गया है कि पक्षकारों के वकील ने बार में कहा था कि इस मुद्दे पर और इस पहलू पर विनियमों पर इस न्यायालय का पहले कोई निर्णय नहीं था। प्रावधानों को संदेह दूर करने के लिए व्याख्या की आवश्यकता थी जो ऊपर प्रयास किया गया है और किया गया है।

(अठ्ठारह) अब शासी निकाय द्वारा दायर 2010 की सीडब्ल्यूपी संख्या 17347 पर चलते हुए, जिसमें रजिस्ट्रार (शिक्षा) (सी) द्वारा शिक्षा सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन के लिए जारी किए गए 20 सितंबर, 2010 के पत्र को चुनौती दी गई है, जिसमें शासी निकाय को सूचित किया गया है कि उसका निर्णय दिनांक 15 सितंबर, 2010 अमान्य है। श्री राजीव आत्मा राम प्रस्तुत करते हैं कि कॉलेज का शासी निकाय एक बहु-सदस्यीय निकाय है जहां निदेशक के पास शासी निकाय के किसी अन्य सदस्य के समान शक्तियां हैं। वह इस तथ्य

---

(1) 2002 (9) एस.सी.सी. 1

पर विवाद नहीं करता है कि निदेशक शासी निकाय का सदस्य है लेकिन उन्होंने कहा कि निदेशक के पास शासी निकाय द्वारा लिए गए निर्णयों को वीटो करने की कोई असाधारण शक्ति नहीं है। 1947 के अधिनियम या सहायता अनुदान योजना या 1974 के अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह प्रावधान करता हो कि यदि निदेशक या उसका नामिती बैठक में उपस्थित नहीं है, तो उसमें लिया गया निर्णय वैध नहीं होगा। बैठक की सूचना दिनांक 14 सितम्बर 2010 निदेशक को की विधिवत तामील की गई थी - दिनांक 1 सितम्बर, 2010 के पत्र *के माध्यम से,* जिन्होंने केवल अपनी व्यस्तता के कारण बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की थी। उन्होंने बैठक स्थगित करने/स्थगित करने का अनुरोध नहीं किया। 20 सितंबर, 2010 के पत्र में दिया गया एकमात्र आधार (जिसे रिट याचिका में चुनौती दी गई है) यह है कि 14 सितंबर, 2010 को आयोजित उक्त बैठक में लिया गया निर्णय 26 नवंबर, 1999 के पत्र की शर्त/पैरा संख्या 3 के मद्देनजर अमान्य है। उनका तर्क है कि पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड -1 अध्याय आठवीं (ए) के प्रावधानों के अनुसार जो संबद्ध कॉलेजों और संबद्धता की शर्तों से संबंधित है, विनियमन 1.2 (ए) एक गैर-सरकारी कॉलेज के शासी निकाय से संबंधित है, जिसमें न तो निदेशक या उनके नामांकित व्यक्ति और न ही कुलपति या उनके नामांकित व्यक्ति को शासी निकाय में शामिल करना अनिवार्य है। हालांकि इन्हें कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में शामिल किया गया है। इससे पहले, वर्ष 2000 में, विनियमन 1.2 के अनुसार, जैसा कि मौजूदा है, कुलपति और निदेशक या उनके नामांकित व्यक्ति को शासी निकाय के सदस्यों के रूप में शामिल करने की मांग की गई थी, जिसे इस न्यायालय में 2001 की सिविल रिट याचिका संख्या 2367 में चुनौती दी गई थी, जिसका शीर्षक **सनातन धर्म प्रचारक सभा (पंजीकृत) और अन्य** *बनाम* **भारत संघ और अन्य था** और इस न्यायालय द्वारा चुनौती को बरकरार रखा गया था, - 6 जनवरी, 2003 के निर्णय के तहत और कुलपति और निदेशक के नामितियों को शामिल करके संशोधन को विश्वविद्यालय की विनियमन बनाने की शक्ति के अधिकारातीत माना गया और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत कॉलेज को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया। किसी भी मामले में, वह तर्क देता है कि निदेशक द्वारा 26 नवंबर, 1999 के पत्र में लगाई गई शर्त संख्या 3 का विधिवत पालन किया गया है क्योंकि उक्त शर्त के अनुसार, निदेशक के नामित व्यक्ति और कुलपति के नामित व्यक्ति को शासी निकाय की प्रत्येक बैठक में आमंत्रित किया जाना आवश्यक है जो किया गया है और इस तथ्य को प्रतिवादी ने रिट याचिका के अपने जवाब में भी स्वीकार किया है। पत्र दिनांक 20 नवम्बर 2010 इस प्रकार अस्थिर है।

(उन्नीस) श्रीमती मधु बहल के माध्यम से वर्तमान रिट याचिका की विचारणीयता के संबंध में निदेशक द्वारा ली गई आपत्ति के संबंध में, उनका तर्क है कि उन्हें 14 सितंबर 2010 को आयोजित अपनी बैठक में शासी निकाय द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया था। *माइल* द गवर्निंग बॉडी की बैठक दिनांक 7 जनवरी 2011 और 14 सितंबर, 2010 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हो गई है और शासी निकाय द्वारा डॉ जोसन के निलंबन के मामले के संबंध में अदालत में कार्यवाही शुरू करने के लिए श्रीमती मधु बहल को अधिकृत करने वाले निर्णय को 23 सितंबर 2010 को रिट याचिका दायर किए जाने के रूप में ठीक किया गया था। **जुगराज** *सिंह और अन्य बनाम जसवंत सिंह* **और अन्य,**[2] **के साथ-साथ** पंजाब विश्वविद्यालय **बनाम** *वीएन त्रिपाठी और अन्य* **के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया है,**[3] वह इस आधार पर 20 नवंबर 2010 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना करता है।

(बीस) श्री अमर विवेक प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से पेश अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया है कि 14 सितंबर 2010 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय अवैध है क्योंकि निदेशक निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़े नहीं थे। 26 नवंबर 1999 के पत्र की शर्त 3 के अनुसार बैठक में निदेशक या उनके नामित व्यक्ति की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप बैठक में लिया गया निर्णय अमान्य हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उक्त पत्र की शर्त 6 के अनुसार, शासी निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की प्रति निदेशक को भेजी जानी आवश्यक थी, जो शासी निकाय द्वारा नहीं की गई है, जो उनकी ओर से *दुर्भावना* को दर्शाता है और निदेशक की शक्ति और अधिकार को खत्म करने का प्रयास किया गया है। 13 सितंबर 2010 के संचार पर भरोसा करते हुए उनका तर्क है कि बैठक में प्रतिवादी को आमंत्रित करने का नोटिस केवल 13 सितंबर 2010 को दोपहर 3.00 बजे इसके बाद, को उन्हें दिया गया था। बैठक को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था जिस पर न तो विचार किया गया और न ही स्वीकार किया गया और इसलिए, निदेशक द्वारा पारित आदेश कानून के अनुसार है। उनका तर्क है कि 14 सितंबर वर्ष 2010 की बैठक का एजेंडा का मसौदा सही ढंग से तैयार नहीं किया गया था और शासी निकाय ने डा जोसन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने के संबंध में निर्णय लेकर और आगे आरोप-पत्र को अनुमोदित करके और उन्हें निलंबित करके कार्यसूची को पार कर लिया है जो कार्यसूची का हिस्सा नहीं था। श्रीमती मधु बहल को प्रबंध समिति/शासी निकाय की ओर से सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कार्य करने के लिए भी अधिकृत किया गया था जिसमें वाद शामिल है और उसके संबंध में अधिवक्ताओं को संलग्न करना। इसी बैठक में, शासी निकाय ने अपनी शक्तियों को शासी निकाय के अध्यक्ष और/या महासचिव को प्रत्यायोजित किया, जो निदेशक और कुलपति के नामित व्यक्ति की शक्तियों का अतिक्रमण करता है और समाप्त कर देता है जो शासी निकाय द्वारा नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह बैठक के लिए परिचालित एजेंडे से परे था। उनका तर्क है कि प्रतिनिधि अपनी शक्तियों को आगे नहीं सौंप सकता है और श्रीमती मधु बहल वर्तमान रिट याचिका दायर करने के लिए अधिकृत नहीं थीं और यदि कोई

प्राधिकरण था, तो यह शासी निकाय के अध्यक्ष और/या महासचिव को था। अपने तर्क के समर्थन में, वह **भूपिंदर सिंह और अन्य** *बनाम* **पंजाब राज्य और अन्य**[4] के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा करते हैं। वह इस आधार पर रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करता है।

(इक्कीस) न्यायालय द्वारा उनसे पूछे गए एक स्पष्ट प्रश्न पर श्री अमर विवेक ने बहुत ही उचित रूप से कहा है कि पंजाब राज्य के निजी कॉलेजों के लिए 1974 के अधिनियम या 1947 के अधिनियम या सहायता अनुदान योजना के तहत निजी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी कॉलेजों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने के लिए निदेशक के पास कोई वैधानिक शक्तियां नहीं हैं।

(बाईस) पंजाब विश्वविद्यालय की ओर से पेश अधिवक्ता श्री अनुपम गुप्ता ने मुझे 1947 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से अधिनियम की योजना में निदेशक के कद और स्थिति को उजागर करने के इरादे से लिया है, जिसमें वह सीनेट और सिंडिकेट के सदस्य हैं। सीनेट सर्वोच्च प्राधिकारी है जिसका निदेशक एक पदेन सदस्य होता है। उन्होंने प्रधानाचार्य की भूमिका और उनके द्वारा धारण किए गए पद के महत्व का उल्लेख करके न्यायालय पर भी प्रभाव डाला है। उनका तर्क मुख्य रूप से यह है कि शासी निकाय अपनी सनक और कल्पना पर, कॉलेज के प्रिंसिपल और विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है, जिसके साथ कॉलेज संबद्ध है, और निदेशक, जो कॉलेजों को अनुदान सहायता के वितरण की अनदेखी करता है, मूकदर्शक नहीं हो सकता है। उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का संदर्भ दिया गया है जिसमें विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र को उजागर किया गया है जिससे कॉलेज संबद्ध है, उनके तर्क का समर्थन करने के लिए कि विश्वविद्यालय के पास कॉलेज के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट के जिन फैसलों का उल्लेख किया गया है, वे टीएमए **पाई का मामला** (*सुप्रा*), **पीए इनामदार** *और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (4), गांधी फैज-ए-आम कॉलेज, शाहजहांपुर* **बनाम आगरा विश्वविद्यालय और अन्य, (5) अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसाइटी और दूसरा बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (6)** हैंवह। इस आधार पर, तर्क दिया जाता है कि निदेशक द्वारा पारित आदेश। उच्च शिक्षा को बरकरार रखा जाना चाहिए।

(तेईस) डॉ. जोसन के वकील ने भी 20 सितंबर 2010 के आक्षेपित पत्र के समर्थन में इसी तर्ज पर अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं।

शासी निकाय के वकील ने यह प्रस्तुत करके जवाब दिया है कि निलंबन की शक्ति विश्वविद्यालय कैलेंडर वॉल्यूम के अध्याय VIII (f) के विनियमन 9 के तहत प्रदान की गई है! पंजाब संबद्ध कॉलेज (कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 1974 कॉलेज के शासी निकाय को किसी कर्मचारी को निलंबित करने की शक्ति देता है जैसा कि धारा 2 (बी) से स्पष्ट है जिसका शीर्षक 'कर्मचारियों का निलंबन* है। इस उपबंध के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस संबंध में कार्य करने के लिए शासी

निकाय की शक्तियों को कम करता हो। 1974 के अधिनियम की धारा 11 का हवाला देते हुए वकील का तर्क है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी विश्वविद्यालय के नियमों या क़ानून पर ओवर-राइडिंग प्रभाव पड़ता है। उनका तर्क है कि निलंबन की शक्ति शासी निकाय को प्रदान की गई है, यह नियोक्ता की संतुष्टि है जो यह निर्धारित करेगा कि किसी कर्मचारी को निलंबन के तहत रखा जाना है या नहीं। **गुरु नानक विश्वविद्यालय बनाम डॉ (श्रीमती) इकबाल कौर संधू और अन्य, (7) के मामले में इस न्यायालय की बेंच के फैसले पर भरोसा किया गया है। उनका** तर्क है कि 14 सितंबर को होने वाली बैठक के लिए आमंत्रित करने का पत्र प्राप्त होने पर निदेशक द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। न ही 2010 में कोई आपत्ति की गई थी कि कार्यसूची में कोई विवरण नहीं दिया गया है या कार्यसूची अस्पष्ट है। उनका तर्क है कि प्रतिवादी-निदेशक द्वारा आक्षेपित पत्र का समर्थन करने के लिए आगे के कारणों और आधारों द्वारा पूरक करने का प्रयास किया गया है जो कानून में अस्वीकार्य है। उनका तर्क है कि जब कुछ आधारों पर आधारित कोई आदेश पारित किया जाता है, तो इसकी वैधता को उल्लिखित कारणों से आंका जाना चाहिए और उन्हें नहीं किया जा सकता है

शपथ पत्र के रूप में या अन्यथा नए कारणों से पूरक। **मोहिंदर सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य[5], के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भरोसा किया गया है।**

(चौबीस) पक्षकारों के वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार करने और इस मामले के रिकॉर्ड को देखने पर मेरा विचार है कि 20 सितम्बर के आक्षेपित पत्र में संशोधन किया गया है। 2010 कायम नहीं रह सकता।

पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर वॉल्यूम -1 2007 के अनुसार। अध्याय VIII (A) जो संबद्ध कॉलेजों से संबंधित है। विनियम 1.2 (क) इसके अंतर्गत किसी गैर-सरकारी कॉलेज के शासी निकाय के गठन का उपबंध करता है जो निम्नानुसार है-

> "'1.2. (क) किसी गैर-सरकारी कॉलेज के शासी निकाय में प्रधानाचार्य के अलावा, जो पदेन सदस्य होगा, उसके प्रबंधन में 15 सदस्यों वाले शासी निकाय के मामले में शिक्षकों के दो प्रतिनिधि और 15 से अधिक सदस्यों वाले शासी निकायों के मामले में शिक्षकों के तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो सभी वित्त पोषित शिक्षकों द्वारा चुने गए होंगे, बशर्ते कि
>
> (एक) इस प्रकार चुने गए दो/तीन शिक्षक कम से कम पांच वर्ष के स्थायी नहीं होंगे:
>
> (दो) यदि कॉलेजों के स्टाफ में पांच वर्ष के दो/तीन शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो दो/तीन

शिक्षक जो स्टाफ में सबसे वरिष्ठ हैं, उन्हें शासी निकाय द्वारा सेवा के लिए आमंत्रित किया जाएगा: और

(तीन) ऐसे प्रतिनिधियों का कार्यकाल वही होगा जो शासी निकाय के शेष सदस्य के लिए होता है, बशर्ते कि किसी भी स्थिति में यह तीन वर्ष से अधिक न हो।

बशर्ते कि एक आकस्मिक रिक्ति से आगे रिक्ति होने के तीन महीने के भीतर चुनाव द्वारा भरा जाएगा और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य निवर्तमान सदस्य का शेष के लिए जारी रहेंगे

(पच्चीस) उपर्युक्त के अवलोकन से पता चलता है कि निदेशक या उनके नामिती या कुलपति के नामिती को शासी निकाय का हिस्सा होना अनिवार्य नहीं है।

(छब्बीस) याचिकाकर्ता के वकील ने स्वीकार किया है कि निदेशक या उनके नामित व्यक्ति और कुलपति के नामित व्यक्ति शासी निकाय के सदस्य हैं, लेकिन यह उन्हें कोई अतिरिक्त विशेषाधिकार/अधिकार प्रदान नहीं करता है। वे किसी भी अन्य सदस्य की तरह शासी निकाय के सदस्य हैं। एक बहु-सदस्यीय निकाय है और निदेशक या उनके नामिती के साथ-साथ कुलपति के नामित व्यक्ति को शासी निकाय की बैठक के आयोजन के बारे में सूचित किया जाना आवश्यक है। निदेशक के वकील द्वारा यह कहा गया है कि न तो 1947 के अधिनियम और न ही 1974 के अधिनियम या अनुदान सहायता योजना के तहत, निदेशक के पास कॉलेज के शासी निकाय के कामकाज में हस्तक्षेप करने की शक्ति या अधिकार क्षेत्र है। शासी निकाय द्वारा निर्णय बहुमत के अनुसार लिए जाते हैं और कुलपति अथवा निदेशक के नामिती अथवा उसके नामिती के पास प्रबंध समिति द्वारा लिए गए निर्णय को बहुमत से रद्द करने के लिए कोई वीटो शक्ति अथवा शक्ति नहीं होती है।

(सत्ताईस) डा जोसन को निलंबित करने के शासी निकाय के निर्णय को स्वीकार न करने के लिए 2010 के पत्र में केवल कारण सौंपा गया है। जिसके *माध्यम से* शासी निकाय को अनुमोदन प्रदान किया गया था, 14 सितंबर 2010 की बैठक में लिए गए निर्णयों के रूप में उल्लंघन किया गया था।में निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ निदेशक को संबद्ध किए बिना अर्थात उनकी अनुपस्थिति में लिया गया था क्योंकि वह इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इस स्तर पर, कॉलेज के शासी निकाय को मंजूरी देते समय शिक्षा विभाग द्वारा लगाई गई शर्त संख्या 3 को पुनरुत्पादन की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार है: -

3. निदेशक लोक अनुदेश (सी) यू.टी. चंडीगढ़ और कुलपति के नामिती पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ को शासी निकाय की प्रत्येक बैठक में आमंत्रित किया जाएगा जिसके बिना शासी निकाय द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को निदेशक, सार्वजनिक

अनुदेश (सी), यूटी चंडीगढ़ द्वारा वैध नहीं माना जा सकता है।

(अठ्ठाईस) शर्त 6 को यहां भी पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि यह अतिरिक्त आधारों में से एक है जिसे प्रतिवादी नंबर 1-निदेशक के वकील द्वारा सेवा में दबाया गया है जो इस प्रकार है: -

"6. शासी निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही उनकी जानकारी के लिए की एक प्रति निदेशक, सार्वजनिक अनुदेश (सी) यूटी को भेजी जाएगी।

(उन्तीस) शर्त संख्या 3 के अवलोकन से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि इसमें जो अनिवार्य है वह यह है कि निदेशक के नामिती और कुलपति के नामित व्यक्ति को शासी निकाय की प्रत्येक बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। ऐसा करने में विफलता पर। शासी निकाय द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को निदेशक द्वारा वैध नहीं माना जा सकता है। यहां फिर से, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नामांकित व्यक्तियों को आमंत्रित किए बिना शासी निकाय द्वारा लिए गए सभी निर्णय अमान्य नहीं हैं/हैं, लेकिन केवल वह/वे जिन्हें निदेशक अमान्य मानता है। यूथर। शर्त नंबर 3 में यह नहीं कहा गया है कि अगर नामित व्यक्ति बैठक में मौजूद नहीं हैं तो यह अवैध होगा, लेकिन इसके लिए शासी निकाय की प्रत्येक बैठक में नामित व्यक्तियों को निमंत्रण देने की आवश्यकता है। यदि नामांकित व्यक्ति बैठक में भाग लेने में विफल रहते हैं या अनुपस्थित रहते हैं, तो यह निदेशक को निर्णय को केवल इसलिए अमान्य घोषित करने का विवेक नहीं देगा क्योंकि वह शासी निकाय की बैठक में शामिल नहीं हुआ था। यदि निदेशक के वकील के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो नामांकित व्यक्ति वस्तुतः कॉलेज के प्रबंधन को रोक देंगे और इन प्रत्याशियों की दया पर शासी निकाय को छोड़ देंगे। यदि एक या दोनों नामांकित व्यक्ति बैठक से दूर रहने का विकल्प चुनते हैं, तो कोई भी निर्णय अंतिम नहीं होगा और निदेशक शासी निकाय के किसी भी निर्णय को रद्द कर सकता है। यह उन सिद्धांतों के खिलाफ होगा जिनके आधार पर 2000 में विश्वविद्यालय कैलेंडर में किए गए संशोधन को 2001 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2367 में **सनातन धर्म सभा (आरसीजीडी) मामले** (*सुप्रा*) में 6 जनवरी 2003 को तय किए गए न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। 20 सितंबर 2010 के पत्र को संप्रेषित करते समय निदेशक द्वारा शक्तियों का प्रयोग।ऐसी सभी शक्तियों को हड़पना और निरस्त करना है जो कानून द्वारा उनमें निहित नहीं हैं। किसी भी प्रकार से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि निदेशक कॉलेज के शासी निकाय द्वारा 14 सितम्बर, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में लिए गए निर्णय से संबद्ध नहीं थे, जिसे शासी निकाय द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2010 के आदेश से संप्रेषित किया गया था। इसके अलावा, यह विवाद में नहीं है कि निदेशक को शासी निकाय की बैठक में आमंत्रित किया गया था

14 सितंबर 2010 को आयोजित किया गया। यह निदेशक द्वारा शक्ति का नग्न दुरुपयोग और अधिकार का दुरुपयोग है। वर्ष 2000 में विश्वविद्यालय कैलेंडर में विनियम 1.2 के संशोधन के

माध्यम से क्या विफल रहा था। निदेशक ने अपने कार्यकारी आदेश के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया है। किसी भी क़ानून के तहत किसी भी शक्ति के अभाव में जो शासी निकाय द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को अमान्य कर सकता है या कॉलेज के प्रबंधन में हस्तक्षेप कर सकता है, शासी निकाय की बैठकों में भाग लेने के अलावा, चुनौती के तहत पत्र इस न्यायालय के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ता है लेकिन यह मानने के लिए कि यह किसी भी अधिकार क्षेत्र के बिना है।

(तीस) 20 सितंबर 2010 के पत्र के समर्थन में अब अतिरिक्त आधार लिए गए । जिन आधारों पर जोर दिया गया है उनमें से एक यह है कि 14 सितंबर 2010 की बैठक का एजेंडा था। अस्पष्ट था और निदेशक द्वारा बैठक को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। इस आधार का परीक्षण करने के लिए, 1 सितंबर के पत्र का संदर्भ दिया जाना चाहिए। 14 सितंबर 2010 के लिए निर्धारित बैठक में भाग लेने के निमंत्रण के जवाब में शासी निकाय के महासचिव को निदेशक द्वारा 2010 लिखा गया। वही इस प्रकार है: -

"विषय: डीएवी कॉलेज के शासी निकाय की बैठक।

अपनी सूचना संख्या 17637 का संदर्भ लें। दिनांक 1 ओथ सितंबर। (ग) उपर्युक्त विषय पर 2010 में संशोधन किया गया है जो 13 सितम्बर 2010 को मध्याह्न पश्चात् 300 बजे प्राप्त हुआ है।.

पूर्व-निर्धारित आधिकारिक असाइनमेंट के कारण। मैं उपर्युक्त उक्त बैठक में भाग लेने की स्थिति में नहीं हूं। यह भी सूचित किया जाता है कि प्रबंध समिति की बैठक निर्धारित करने से पहले कम से कम दो सप्ताह का नोटिस दिया जाए।

एसडी।/-

निदेशक उच्च शिक्षा विभाग। शिक्षा का।
चंडीगढ़ प्रशासन।

(इक्तीस) उपर्युक्त के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि जो सूचित किया गया था वह यह था कि निदेशक अपने पूर्व-निर्धारित आधिकारिक कार्यों के कारण बैठक में भाग लेने में असमर्थ थे और एक और अनुरोध किया गया था कि बैठक का समय निर्धारित करने से पहले कम से कम दो सप्ताह का नोटिस दिया जाएप्रबंध समिति का। एजेंडे या उसकी अस्पष्टता के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया और न ही बैठक स्थगित करने का कोई अनुरोध किया गया। जिस आधार पर अब बाद में और बिना किसी आधार के आग्रह किया गया है, वह रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों से नहीं आ रहा है।

हां तक इस विवाद का संबंध है कि एजेंडा में डॉ. जोसन के खिलाफ की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया है और आगे अदालती मामलों के लिए प्राधिकरण का संबंध है, यह कहना पर्याप्त है कि 10 सितंबर वर्ष 2010 के पत्र के अनुसार। 2010 के दौरान निदेशक को 14 सितम्बर 2010 को बैठक में भाग लेने का निमंत्रण दिया गया था। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि बैठक "डॉ। प्रिंसिपल, डीएवी चंडीगढ़। इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि उक्त कार्यसूची मद पर चर्चा के अनुसार आवश्यकतानुसार उचित निर्णय लिया जाए। 14 सितंबर 2010 की बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन। (विधिवत सत्यापित फोटोकॉपी '

जिनमें से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है), यह दर्शाता है कि निर्णय- *वीडियो* उसमें लिए गए संकल्प 1 से 4 सीधे एजेंडे से जुड़े थे। प्रस्ताव संख्या 1 डॉ. जोसन को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने से संबंधित है। संकल्प संख्या 2 आरोपों के लेख के अनुमोदन और डॉ। संकल्प सं.1 अनुरोध संख्या 3 यह था कि डा जोसन को तत्काल प्रभाव से कॉलेज के अगले वरिष्ठतम प्रोफेसर श्री शशि कुमार गुप्ता को प्रभार सौंपने का निदेश दिया जाए। प्रस्ताव संख्या 4 ने डॉ जोसन के निलंबन पर शासी निकाय/प्रबंध समिति की ओर से इस न्यायालय में कैविएट दायर करने के लिए श्रीमती मधु बहल के प्राधिकरण से निपटा। उसे वाद सहित सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया था। सूट (ओं)। प्रतिकृति (ओं)। शपथ पत्र के साथ-साथ उसके संबंध में अधिवक्ताओं को संलग्न करना। संकल्प संख्या 5 सामान्य प्रकृति का था जिसमें कॉलेज के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मामलों से संबंधित अध्यक्ष और/या महासचिव को शासी निकाय/प्रबंध समिति को शक्तियां सौंपी गई थीं। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि 14 सितंबर की बैठक में लिया गया निर्णय। वर्ष 2010 का सम्मेलन बैठक के लिए परिचालित कार्यसूची से संबंधित या उससे परे नहीं था। किसी भी मामले में, यह वह आधार नहीं था जिसे डा जोसन के दिनांक 15 सितम्बर के निलंबन के आदेश को धारण करने के लिए लिया गया था। 20 सितंबर के आक्षेपित पत्र में 2010 को अमान्य के रूप में अमान्य घोषित किया गया है। 2010 और इसलिए, इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(तैंतीस) यह आधार लिया गया है कि दिनांक 26 नवम्बर, 1999 के पत्र की शर्त 6 के अनुसार दिनांक 14 सितम्बर, 2010 की बैठक का कार्यवृत्त उच्चतर शिक्षा निदेशक को नहीं भेजा गया था, यह कहने के लिए पर्याप्त है कि दिनांक 20 सितम्बर, 2010 का पत्र, जिसे वर्तमान मामले में चुनौती दी गई है, शासी निकाय की दिनांक 14 सितम्बर, 2010 की बैठक की कार्यवाही की आपूर्ति न किए जाने पर आधारित नहीं है। (ख) दिनांक 20 सितम्बर, 2010 के पत्र द्वारा संसूचित किए गए निर्णय पर न तो इसका कोई प्रभाव पड़ता है और न ही इसका कोई प्रभाव पड़ता है। यह भी उक्त पत्र में उल्लिखित आधार नहीं है कि 14 सितम्बर, 2010 की बैठक में लिए गए निर्णय को अवैध घोषित किया जाए जिसकी सूचना शासी निकाय द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2010 के आदेश द्वारा दी गई थी। किसी भी मामले में, शर्त 6 के अनुसार, शासी निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की प्रति केवल निदेशक को उसकी जानकारी के लिए भेजी

जानी थी। यहां यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि दिनांक 14 सितम्बर, 2010 की बैठक के पश्चात् शासी निकाय की अगली बैठक 7 जनवरी, 2011 को हुई जिसमें निदेशक ने भाग लिया था। इसके कार्यवृत्त के अवलोकन से पता चलता है कि दिनांक 14 सितम्बर, 2010 की बैठक के कार्यवृत्त को शासी निकाय के सभी सदस्यों को विधिवत परिचालित किया गया था और कार्यवृत्त की पुष्टि के विरुद्ध निदेशक द्वारा उठाई गई विभिन्न आपत्तियों पर बैठक में विधिवत विचार किया गया था। 14 सितम्बर, 2010 को हुई बैठक की कार्यवाहियों की आपूत न किए जाने के संबंध में उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। यह कारण, जैसा कि अब 20 सितम्बर, 2010 के पत्र का समर्थन करने का आग्रह किया गया है, पुन एक बाद में विचार किया गया है।

(चौंतीस) सुप्रीम कोर्ट के **मोहिंदर सिंह गिल के मामले** *(सुप्रा)* के फैसले में निर्धारित सिद्धांत इस मामले पर लागू होंगे, जिसके अनुसार जब कोई प्राधिकरण कुछ आधारों के आधार पर आदेश देता है, तो इसकी वैधता को उल्लिखित कारणों से आंका जाना चाहिए और इसे सही ठहराने के लिए हलफनामे के रूप में या अन्यथा नए कारणों से पूरक नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेश सार्वजनिक प्रभाव के लिए होते हैं और उनका उद्देश्य उन लोगों के अभिनय और आचरण को प्रभावित करना होता है जिन्हें उन्हें संबोधित किया जाता है और आदेश में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में निष्पक्ष रूप से समझा जाना चाहिए। अन्यथा शुरुआत में खराब आदेश चुनौती के कारण अदालत में आने के समय तक बाद में लाए गए अतिरिक्त आधारों द्वारा मान्य हो सकता है। अन्यथा भी, निदेशक द्वारा सेवा में दबाए गए अतिरिक्त आधार, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 20 सितंबर, 2010 के आक्षेपित पत्र को सही ठहराने में विफल रहे हैं।

(पैंतीस) श्री अनुपम गुप्ता द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, जिन्हें ऊपर संदर्भित किया गया है, 1947 अधिनियम की योजना में निदेशक को सौंपे गए प्रतिष्ठित पद और महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं और साथ ही एक कॉलेज के प्रिंसिपल और इस प्रकार, उक्त पद से जुड़े महत्व पर जोर देते हैं। उक्त पहलू पर कोई संदेह या विवाद नहीं हो सकता। हालाँकि, एक प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता है। किसी भी कानून या कानून द्वारा / के तहत प्रदत्त किसी भी क्षेत्राधिकार या प्राधिकरण के बिना। मौजूदा मामले में, अधिनियम और नियम/विनियम, जो लागू हैं, 20 सितंबर 2010 के पत्र को संप्रेषित करते समय निदेशक द्वारा प्रयोग की गई शक्ति और अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। केवल इसलिए कि अधिनियम की योजना और नियम/विनियम किसी प्राधिकरण को एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपते हैं, उसे तब तक कोई अधिकारिता प्रदान नहीं करता है जब तक कि इस तरह के अधिनियम, नियम या विनियमन के तहत ऐसा उपबंधित न हो। यदि इस सिद्धांत को स्वीकार किया जाना है, जैसा कि श्री गुप्ता द्वारा तर्क दिया गया है, तो यह पूरी तरह से अराजकता को जन्म देगा और अधिकारियों को अपनी सनक और कल्पना के अनुसार आगे बढ़ने के लिए निरंकुश, बेलगाम और अनियमित शक्तियां देगा, जिसे अनुमोदित नहीं

किया जा सकता है।

(छतीस) एकमात्र पहलू जिस पर अब विचार किए जाने और निर्णय लेने की आवश्यकता है, वह वर्तमान रिट याचिका को निपटाने के लिए श्रीमती मधु बहल को दिए गए प्राधिकार के संबंध में है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विभिन्न प्रस्तुतियाँ की गई हैं, लेकिन इसे 14 सितंबर 2010 की बैठक में शासी निकाय द्वारा पारित संकल्प संख्या 4 के आलोक में न्यायालय को लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखना चाहिए। उक्त संकल्प का संदर्भ इस पहलू को तय करने के लिए फायदेमंद होगा और यह निम्नानुसार पढ़ता है: -

(सैंतीस) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में कैविएट दायर करने का संकल्प लिया। चंडीगढ़ और वह श्रीमती मधु बहल प्रिंसिपल, कैलाश बहल डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल सेक्टर 7-बी चंडीगढ़। शासी निकाय/प्रबंध समिति की ओर से चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कैविएट बनाने के लिए मैसर्स सेक्टर 7-बी चंडीगढ़ के मामले में एक अधिसूचना दायर करने के लिए प्राधिकृत किया जाए। डीएवी कॉलेज सेक्टर 10, चंडीगढ़/डीएवी कॉलेज प्रबंध समिति चित्रा गुप्ता रोड नई दिल्ली । डॉ. जोसन प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ के निलंबन पर जिसे शासी निकाय/प्रबंध समिति द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियांक गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

यमुनानगर, हरियाणा